संख्या- 7/1642/26-3-2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2013

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2013-14 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत मास्टर डाटा अपडेट किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने हेतु शैक्षणिक वर्ष 2013-14 हेतु आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। शासन के पत्र संख्या 1122/26-3-2013-4(358)/07-टी0सी0-2, दिनांक 30-08-2013 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु समय सारिणी का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31-12-2013 निर्धारित की गयी है। जनपद में स्थित शिक्षण संस्थाओं, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों की अवधि आदि का उल्लेख करते हुए मास्टर डाटा

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्धारित समयावधि में अपडेट किया जाना है, परन्तु प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक डाटा अपडेट करने का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार मास्टर डाटा अपडेशन का कार्य नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में 30-10-2013 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0/ 1642/26-3-2013, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in